कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
म.प्र.

क्रमांक/शिक्षा स्था.4/243/2012-13/2543 भोपाल, दिनांक 4/2/13

आदेश

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 25.4.08 में उल्लेखित पारस्परिक आपसी अदला बदली के प्रावधान के तहत दोनों निकायों द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर प्राप्त आवेदन अनुसार कॉलम 2 व 3 में दर्शित सहायक अध्यापक को संस्थाओं में परस्पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये सहायक अध्यापक के स्थान पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है:- **(यह आदेश आगामी शिक्षण सत्र 2013 से प्रभावशील होगा)**

क्र.	अध्यापक का नाम व पदस्थापना स्थान	अध्यापक का नाम व पदस्थापना स्थान
1	2	3
1	श्री महेशचन्द्र राठौड, सहायक अध्यापक, कन्या प्रा.वि.पिपल्या विकास खंड निसरपुर जिला धार **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निसरपुर जिला धार)**	श्री रामेश्वर मण्डलोई, सहायक अध्यापक, प्रो.प्रा.वि. नकटीखोदरी रानीपुरा विकास खंड पाटी जिला बडवानी **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटी जिला बडवानी)**
2	श्री देवराम बघेल, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि. किला जोबट जनपद पंचायत जोबट जिला अलीराजपुर **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जोबट जिला अलीराजपुर)**	श्री किशोर सिंह भाबर, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि. हेलापडावा जनपद पंचायत झिरन्या जिला खरगोन **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत झिरन्या जिला खरगोन)**
3	श्री शिवकुमार रैदास, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शाला केवलारी जिला जबलपुर **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबलपुर)**	श्री धीरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शाला चरगांव विकास खंड विछिया जिला मंडला **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विछिया जिला मंडला)**
4	श्री गजेन्द्र सेन, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि. दाडिया विकास खंड पेटलावद जिला झाबुआ **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद जिला झाबुआ)**	श्री अमर सिंह खडिया, सहायक अध्यापक शा.प्रौ.प्र.वि. केकडी खोदरी सावरियापानी विकास खंड पाटी जिला बडवानी **(मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटी जिला बडवानी)**

संविलियन की शर्तें-

1 यह अनुमति तालिका कमांक दो व तीन में उल्लेखित निकाय में आपसी संविलियन के लिये मान्य होगी ।

2 तालिका दो में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका कमांक चार में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा

3 तालिका कमांक दो व तीन में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे संबंधित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।

4. संबंधित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका कमांक दो व तीन वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/ सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाये ।

1/27 10 2010 order doc

5 तालिका क्रमांक दो व तीन में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कायरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।

6 संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक दो व तीन में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।

7 वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।

8 शिक्षा कर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधी निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

9 तालिका क्रमांक दो व तीन में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

10 वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।

2.2.2013

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
म0प्र0

पृ. क्रमांक/शिक्षा स्था.4/243/2012–13/2544 भोपाल, दिनांक 4/2/13

प्रतिलिपि–

1 निज सचिव, मान.मंत्री/राज्यमंत्री, आ.जा.क. विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आ.जा.क. विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ।
4 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
5 कलेक्टर, धार/अलीराजपुर/बड़वानी/खरगौन/जबलपुर/मंडला/झाबुआ, म.प्र.।
6 आयुक्त, नगर निगम..म.प्र.
7 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निसरपुर जिला धार/पाटी जिला बडवानी/जोबट जिला अलीराजपुर/झिरन्या जिला खरगोन/जबलपुर/बिछिया जिला मंडला पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदको के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें
8 संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत..............................जिला ....म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि आपके निकाय से संबंधित आवेदको के आवश्यक अभिलेखो/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें ।
9 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..म.प्र.
10 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, धार/अलीराजपुर/बड़वानी/खरगौन/जबलपुर/मंडला/झाबुआ म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित प्राचार्य..म.प्र. ।
8. संबंधित श्री ....जिला..म.प्र. ।

2/2/13

अपर संचालक
आदिवासी विकास,
म0प्र0

2 27 10 2010 order doc